विहंगावलोकन

वर्ष 2015-16 के दौरान रक्षा सेवाओं का कुल व्यय ₹2,43,534 करोड़ था। इसमें से, नौसेना ने ₹35,196 करोड़ खर्च किए जबकि तटरक्षक ने ₹3,034 करोड़ खर्च किए, जो की कुल रक्षा व्यय का लगभग क्रमशः 14.45 प्रतिशत तथा 1.25 प्रतिशत था। नौसेना के व्यय का मुख्य भाग पूंजीगत स्वरूप का है, जो कुल व्यय का लगभग 56.47 प्रतिशत है जबकि तटरक्षक का कुल व्यय पूंजीगत एवं राजस्व शीर्षों के बीच समान रूप से प्रत्येक के लिए ₹1,517 करोड़ वितरित किया गया था।

इस प्रतिवेदन में भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक के लेन-देन की लेखापरीक्षा से उद्भूत मुख्य निष्कर्ष शामिल किए गए हैं। प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ मुख्य निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

I. भारतीय नौसेना में नौसैनिक भण्डार तथा उपकरण एवं अतिरिक्त पुर्ज़ों के इनवेंट्री प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

सामग्री नियोजन में जिम्मेदारी के कई क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, इनवेंट्री प्रबंधन और मुद्दा प्रबंधन हैं। इनवेंट्री वहन की लागत को कम करने के लिए अच्छी इनवेंट्री प्रबंधन महत्वपूर्ण है। एकीकृत रसद प्रबंधन तंत्र के रूप में स्वचालन के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रावधानीकरण और निरंतर सुधार में सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो एक ऑन-लाइन, डेटा से जुड़े कंप्यूटर तंत्र द्वारा नौसेना की सामग्री नियोजन का समर्थन करते हैं।

प्रणाली आधारित प्रोविज़निंग फार्मूला द्वारा सृजित अधिप्राप्ति मात्रा अधिक थी तथा अनुमानित मात्रा, विद्यमान फार्मूले में बीजगणितीय विसंगति के कारण तीन से छः वर्षों के वार्षिक उपभोग की आवश्यकता के समान थी। भारतीय नौसेना में इनवेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म की कमी इस सीमा तक है कि एबीसी वर्गीकरण मानदंडों का पालन नहीं किया गया था। यह इनवेंट्री के अधिकतम और न्यूनतम स्टॉक स्तर की समीक्षा प्रावधान और मूल्यांकन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। मांगपत्रों के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित समय का पालन नहीं किया गया था जो भंडारों की खरीद में व्यापक प्रभाव का कारण था। मालिकाना हक प्रमाण पत्र और एकल संविदा जांच के

तहत खरीदी गई मदें, खुली निविदा पूछताछ और दर संविदाओं के तहत खरीदे गए मदों की तुलना में काफी अधिक थे, जिससे कम प्रतिस्पर्धा/एकाधिकार की स्थिति हो गई थी। ₹46.92 करोड़ की अप्रचलित मदों की खरीद का निर्णय करते समय यथोचित परिश्रम की कमी का संकेत मिला। सामग्री संगठनों में औसत मांग अनुपालन लगभग 70 प्रतिशत था। ऊपरी स्टॉक स्तर से ज्यादा सामग्री संगठनों द्वारा ₹7359.37 करोड़ के मूल्य की इनवेंट्री रखी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप भंडारों की खराबी और अप्रचलन से संबंधित जोखिम के साथ प्रतिवर्ष ₹588.75 करोड़ की इनवेंट्री वहन की लागत का दायित्व हुआ।

(अध्याय-II)

II. भारतीय नौसेना में पोतों एवं पनडुब्बियों की दुर्घटनाएं

एक पोत/पनडुब्बी की हानि भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि नए पोतों/पनडुब्बियों के अधिग्रहण में आठ से दस वर्षों से अधिक की खरीद/निर्माण प्रक्रिया शामिल रहती है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि भारतीय नौसेना शांति के समय में दुर्घटनाओं से अपनी संपत्ति को मुक्त रखे। 2007-2008 और 2015-16 के बीच, भारतीय नौसेना के पोतों और पनडुब्बियों में मुख्य रूप से आग/विस्फोट/बाढ़ के कारण 38 दुर्घटनाएं हुईं। इन दुर्घटनाओं में दो नौसैनिक पोतों और एक पनडुब्बी के अलावा बहुमूल्य जीवन की हानि हुई। भारतीय नौसेना की स्थापना के बाद से, सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए कोई संस्थागत रूपरेखा नहीं है। सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा एक समर्पित संगठन 2014 में स्थापित किया गया था, हालांकि इसके लिए सरकार की संस्वीकृति प्रतीक्षित है।

(पैराग्राफ 3.1)

III. समुद्री गैस टर्बाइन की ओवरहॉल सुविधा की स्थापना

आई॰एन॰एस एक्सिला 1991 से एम3ई जी॰टीज़ का ओवरहॉल कर रहा है, लेकिन जी॰टीज़ के ओवरहाल के पूरा होने में अन्य बातों के साथ-साथ, पुर्जों और जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण असामान्य विलंब का सामना करना पड़ रहा है। एम-15 जी॰टीज़ के ओवरहॉल के लिए आवश्यक सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं हुई थीं, हालांकि इस सुविधा को स्थापित करने की योजना 1986 के बाद से की गई थी। इस बीच, 1241 आर॰ई श्रेणी के बारह पोतों में से दो, जिनमें एम-15 जी॰टीज़ को काम में लाया जाता था, को अप्रैल 2016 तक सेवामुक्त कर दिया

गया था। 2008 में नियोजित एम-36 जी॰टीज़ के लिए ओवरहॉल की सुविधा में उपकरणों की खरीद और निर्माण कार्यों के बीच समकालीनता की कमी के कारण देरी हुई। परिणामतः, नौसेना जी॰टीज़ के ओवरहाल के लिए ओ॰ई॰एम पर आगे भी निर्भर रही, जिसमें ₹317.77 करोड़ का व्यय हुआ। लम्बी अवधि के लिए मानवशक्ति को न रखने के कारण, आई॰एन॰एस एक्सिला तकनीकी उपलब्धता से जूझ रही है।

(पैराग्राफ 3.2)

IV. यू॰एच-3एच हेलीकॉप्टरों का संचालन और रखरखाव

लैंडिंग प्लेटफार्म डेक के एक अभिन्न अंग के रूप में खरीदे गए हेलीकॉप्टरों के यू॰एच-3एच बेड़े, स्क्वाड्रन की चार से तीन हेलीकॉप्टरों की यूनिट स्थापना में कमी के बावजूद सात में से छः वर्षों में इसकी सेवाकारिता के वांछित स्तर को बनाए रखने में असमर्थ थे। स्पष्ट लक्ष्यों के अभाव में, डेक आधारित उड़ान काफी कम रही। समर्पित डिपो स्तर की रखरखाव सुविधाओं के न होने और पुर्जों की अनुपलब्धता का बेड़े के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण की कमी के कारण नौसेना रखरखाव, मरम्मत कार्य और रसद मुद्दों के लिए विदेशी मरम्मत एजेंसी पर लगातार निर्भर है।

(पैराग्राफ 3.3)

V. पेरिस्कोपों की स्थापना के विलम्ब के कारण सिन्धुघोष वर्ग की पनडुब्बियों का जोखिम भरा उपयोग

पेरिस्कोपों की आपूर्ति के लिए आवश्यक विक्रेता के स्वामित्व में विस्तार के संबंध में अनुबंध में संशोधन करने की मंत्रालय की अनुमति प्रदान करने मे की गयी 34 महीनों से अधिक की देरी के कारण पेरिस्कोपों की आपूर्ति करने तथा सिन्धुघोष वर्ग की पनडुब्बियों की स्थापना करने में विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप अगले रीफिट तक 22 से 62 महीनों के लिए पनडुब्बियों का जोखिम भरा उपयोग किया गया।

(पैराग्राफ 3.4)

VI. अनिवार्य तंत्र की स्थापना न करने के कारण विमानों की उड़ान सुरक्षा से समझौता

भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक के विमानों पर एक महत्वपूर्ण उड़ान सुरक्षा उपकरण की अनुपलब्धता ने विगत 12 वर्षों से उनका सुरक्षित परिचालन प्रभावित किया। उपकरण की

सुपुर्दगी समयावधि एवं विमान पर उसकी स्थापना में तालमेल न होने के कारण और चार वर्षों के लिए भी यही स्थिति बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त, एक विमान बेड़े का सेवामुक्ति को संज्ञान में लेने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹5.58 करोड़ की लागत पर 10 उपकरणों की अधिक खरीद हुई।

(पैराग्राफ 3.5)

VII. ऑफसेट दायित्व के फलन में देरी के कारण बेड़े के टैंकरों का भेद्य होना

बेड़े के टैंकरों की, 2011 में उनकी सुपुर्दगी से लेकर, रक्षा प्रणालियों की अनुपलब्धता ने उनको वाह्य खतरों के प्रति भेद्य बना दिया। इसके साथ, दो बेड़े के टैंकरों की संविदा के ऑफसेट खंड के अन्तर्गत ली जाने वाली महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति/स्थापना से भुगतान का संबंध न होने के परिणामस्वरूप विदेशी विक्रेता को ₹26.73 करोड़ का समयापूर्व भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

VIII. दिल्ली क्षेत्र में नौसैनिक अधिकारियों द्वारा लघु-शस्त्र फायरिंग अभ्यास की कमी

सभी भारतीय नौसेना कार्मिकों से अपेक्षित है कि उन्हें सभी प्रकार के लघु शस्त्रों के संचालन की प्रक्रिया का ज्ञान हो। यह देखा गया कि दिल्ली क्षेत्र में अभ्यास फायरिंग में नौसैनिक अधिकारियों का कवरेज़ कम था जो लघु-शस्त्रों के संचालन में उनकी योग्यता के बारे में चिन्ताजनक था।

(पैराग्राफ 3.7)

IX. एक हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए एयरो इंजन की अवांछित अधिप्राप्ति

भारतीय नौसेना ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त दो हेलीकॉप्टरों के लिए चार एयरो इंजनों की अधिप्राप्ति का आदेश देते समय, अनुबंध करने से पूर्व किफ़ायती मरम्मत से परे (बी.ई.आर) घोषित एक हेलीकॉप्टर तथा ओवरहॉल के पश्चात प्राप्त 16 एयरो इंजनों को ध्यान में नहीं रखा। यद्यपि, इन अधिक इंजनों को बाद में पाँच हेलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति में मिला लिया था, तथापि एक अन्य हेलीकॉप्टर की बी.ई.आर घोषणा के परिणामस्वरूप तीन एयरो इंजनों की इन्वेन्ट्री धारिता उनके अनुमोदन से अधिक हो गई तथा इन तीन अधिक एयरो इंजनों की अधिप्राप्ति पर ₹16.62 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

X. एक विमान के लिए मोबाइल सैटेलाइट सर्विस टर्मिनल की परिहार्य अधिप्राप्ति एवं स्थापना

भारतीय नौसेना की टी॰यू-142एम विमान बेड़े की सेवामुक्ति योजना का संज्ञान लेने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹0.95 करोड़ की लागत पर विमान के लिए अतिरिक्त मोबाईल सैटेलाईट सर्विस (एम॰एस॰एस) टर्मिनल की अधिप्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त, 2017 तक अन्य तीन विमानों को सेवामुक्त करने के कारण इन विमानों पर एम॰एस॰एस टर्मिनलों की स्थापना बड़े पैमाने पर निष्फल हो जाएगी।

(पैराग्राफ 3.9)

XI. डोर्नियर विमानों के लिए मौसम राडारों की अधिप्राप्ति

मौसम राडारों के लिए अधिप्राप्ति के भाग के रूप में एक महत्वपूर्ण संघटक अर्थात्, प्रदर्शन यूनिटों की आपूर्ति न होने से डोर्नियर विमान बेड़े का परिचालन उपयोग प्रभावित होता है।

(पैराग्राफ 3.10)

XII. चावल की खरीद पर परिहार्य व्यय

सूखे राशन के प्रावधान और खरीद पर मौजूदा नीति की अवहेलना करते हुए, भारतीय नौसेना ने दिल्ली क्षेत्र में नौसैनिक दल के लिए चावल की स्थानीय खरीद का सहारा लिया, जिससे चावल की खरीद में ₹0.89 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.11)

XIII. एक पोत निर्माणी को विदेशी विनिमय दर में अन्तर के कारण ₹5.23 करोड़ का अनियमित भुगतान

भारतीय तटररक्षक ने संविदागत प्रावधानों की गलत व्याख्या के कारण विदेशी विनिमय दर में अन्तर के रूप में मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा को ₹5.23 करोड़ का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 4.1)